न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 30/2025 बउनवानी रईस खान **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर ,स0मा0
पुत्र नामदार खान निवासी मलारना डूँगर

GCMS No-2025/ 114

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.5.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *संस्थापन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी आर.टी.आई. जयपुर का पत्रांक एफ.1(8)()आरटीआई/सान्याय अवि/2022/2018–19 दिनांक 5.1.2023 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना* " अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ.13(01)(28)/सूकाअ/2025/466 दिनांक 5.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.2025 मे उल्लेखित संस्थापन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी आर.टी.आई. जयपुर का पत्रांक एफ. 1(8)()आरटीआई/सान्याय अवि/2022/2018–19 दिनांक 5.1.2023 कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.(1)(17)/सूकाअ /2025/154 दिनांक 14.2.2025 एवं पत्रांक एफ.13(1)(28)/सूकाअ/2025/224 दिनांक 11.3.205 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसमे संबंध मे अपीलान्ट को नियत समयावधि मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:55 IST
Reason: SelfAttested